न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 31/2021
आरसीएमएस : 2021/411

1. मांगीलाल पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी 6 बीपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बुधराम पुत्र नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी 6 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी 6 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. चुनीराम पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी 6 एलसी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. देवीलाल पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. पृथ्वीराज पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. रामेश्वर पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. हंसराज पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :–
1. श्री अजय धारणियां, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश धारणियां, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 से 6

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी मांगीलाल की भूमि चक 6 बीपीएम के प.न. 122/327 में 2.733है. नहरी भूमि व प्रार्थी बुधराम की चक 6 बीपीएम के मु.नं. 30 प.नं. 123/327 में 3.992है. नहरी भूमि व मु.नं. 42 प.नं. 123/328 में 2.024है. नहरी भूमि कुल 6.016है. भूमि में से 1/3 हिस्सा की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 6 बीपीएम के मु.नं. 44 प.नं. 122/329 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में व अप्रार्थी सं. 2 की भूमि चक 6 बीपीएम मु.नं. 57 प.नं. 122/330 के कि.नं. 1–21 में व अप्रार्थी सं. 3–4–5–6 के स्वर्गीय पिता शंकरलाल के नाम की भूमि चक 6 बीपीएम के मु.नं. 57 कि.नं. 10–11–20 में से प्रत्येक में 0.025है. पश्चिमी पासा में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। एवं निवेदन किया कि चक 6 एलसी से पूर्व दिशा की ओर मु.नं. 38,57,56,55,54 में से प्रत्येक मु.नं. के [illegible] 2–2 बिस्वा लिंक रोड बनी हुई हैं, तथा वांछित रास्ता के मु.नं. 57–44 के आगे [illegible] की ओर लगते मु.नं. के कि.नं. 1–10–11–20–21 में 2–2 बिस्वा [illegible] मु.नं. 57–44 प्रत्येक के कि.नं. 1–10–11–20–21 में से 2–2 बिस्वा रास्ता [illegible] है तो इससे प्रार्थीगण के अलावा चक के तमाम काश्तकारान [illegible] भूमि से लिंक रोड तक आवागमन में सरलता होगी। रास्ता में आई भूमि के बद[illegible] प्रार्थीगण डी.एल.सी दर पर कीमत अदा करने के लिए सहमत हैं। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से रिकार्ड/मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित हुए परन्तु जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी सं. 1 दिनांक 27.09.2022 को बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 6 जरिए अधिवक्ता पेश हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

किया। अप्रार्थी सं. 3 ता 6 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 बीपीएम के मु.नं. 57 प.नं. 122/330 कि.नं. 10–11–20 में प्रार्थीगण ने जिस 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता की मांग की है उक्त किलाजात में कच्चा चालू रास्ता है जिसके जरिए प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण अपने अपने रकबा में आवागमन करते हैं जिस भूमि में से नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अप्रार्थी सं. 3 ता 6 को कोई आपति नहीं है। न ही अप्रार्थीगण उक्त स्वीकृत किये जाने वाले रास्ते की भूमि के लिए भविष्य में कोई उज्र व एतराज करेंगे। अप्रार्थी सं. 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी की भूमि चक 6 बीपीएम के मु.नं. 57 प.नं. 122/330 के कि.नं. 1 व 21 में प्रार्थीगण ने जिस 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता की मांग की है उक्त किलाजात में अप्रार्थी की कि.नं. 21 में बनी ढाणी को छोड़कर ढाणी के साथ साथ कच्चा रास्ता चालू है जिसके जरिए प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगणअपने अपने रकबा में आवागमन करते हैं जिस भूमि में से ढाणी को छोड़कर रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं। न ही अप्रार्थी उक्त स्वीकृत किये जाने वाले रास्ते की भूमि के लिए भविष्य में कोई उज्र व एतराज करेंगे।

3. तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/1231 दिनांक 30.06.2022 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट चक 6 बीपीएम के मु.नं. 44 व 57 के कि.न. 1–10–11–20–21 में पश्चिमी पासा पर 0.025है रास्ता स्वीकृत करना चाहते हैं। चक 6 बीपीएम मु.नं. 57 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.051है. मौके पर पक्की सड़क बनी हुई है। प्रार्थीगण के खेत चक 6 बीपीएम के मु.नं. 30–31 व 42 में आवागमन हेतु मु.नं. 31 व 41 प्रत्येक के कि.नं. 1–10–20–21 में 0.025है. गै.मु. रास्ता स्वीकृतशुदा सुचारू रूप से चल रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र आबादी भूमि से जाने वाली पक्की सड़क से उक्त रास्ते को जोड़ने के लिए रास्ता की मांग की जा रही हैं।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष निवेदन किया कि अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत हैं। रास्ता स्वीकार होने से आगे के काश्तकारान को भी लाभ मिलेगा। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि को स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता लगता हैं। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र आबादी भूमि से जाने वाली पक्की सड़क से उक्त रास्ते को जोड़ने के लिए रास्ता की मांग की जा रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया हैं कि वांछित रास्ता स्वीकार किये जाने पर प्रार्थीगण के अलावा चक के तमाम काश्तकारान को आबादी भूमि से लिंक रोड तक आवागमन हेतु सुविध हो सकेगी। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 से 6 द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमति प्रकट की हैं। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के बदले डी.एल.सी. दर अदा करने हेतु सहमत हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि रास्ता स्वीकृत करने से आबादी भूमि तक आवागमन संभव होगा, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता हैं तथा चक 6 बीपीएम के मु.नं. 57 व 44 प्रत्येक के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक में 0.025–0.025है. गै.मु. रास्ता पश्चिमी पासा स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के एवज में मुआवजा के तौर पर अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेंगे। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कर अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता को राज[illegible] दरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को [illegible] जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.11.2022 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:37:59 IST
Reason: SelfAttested

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर